भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.4171
13.12.2019 को उत्तर के लिए

वायु प्रदूषण से निपटने हेतु निधि

4171. कर्नल राज्यवर्धन राठौरः

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर भारत, विशेषतः दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में वायु प्रदूषण से निपटने हेतु कोई निधि आवंटित की गई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) उपर्युक्त आवंटित निधि गत तीन वर्षों में किस कार्य के लिए व्यय की गई है;
(घ) उन परियोजनाओं की स्थिति और परिणाम का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त धनराशि व्यय की गई थी; और
(ङ) उत्तर भारत में पराली जलाने से कितने स्थानों पर वायु प्रदूषण बढ़ता है और किस समय बढ़ता है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) से (ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरे देश में वायु प्रदूषण की समस्या से व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक दीर्घावधिक, समय-बद्ध, राष्ट्र-स्तरीय कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरूआत की गई है, जिसका उद्देश्य सांद्रता की तुलना के लिए 2017 को आधार वर्ष मानते हुए वर्ष 2024 तक PM_{10} और $PM_{2.5}$ की सांद्रताओं में 20% से 30% कमी लाने का लक्ष्य प्राप्त करना है। एनसीएपी के तहत वर्ष 2011-2015 की अवधि के लिए प्राप्त परिवेशी वायु गुणवत्ता संबंधी आंकडों तथा डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट 2014/2018 के आधार पर 102 ऐसे शहरों को अभिज्ञात किया गया है जहां वायु की गुणवत्ता राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं है जिनमें पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहर शामिल हैं।

एनसीएपी के तहत अभिज्ञात किए गए 102 अवमानक वायु गुणवत्ता वाले शहरों में से उन शहरों के लिए, जहां आबादी 10 लाख से अधिक है और PM_{10} की सांद्रता $90\mu g/m^3$ से अधिक है, हेतु पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चालू वर्ष में विभिन्न घटकों के लिए 10 करोड़ रू. का वित्त पोषण किया जा रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सीएएक्यूएमएस की स्थापना और प्रचालन, सड़कों के किनारे हरित बफर क्षेत्र का सृजन, मशीनों द्वारा सड़कों की सफाई, चल प्रवर्तन इकाई, जन-जागरूकता और क्षमता निर्माण संबंधी कार्यकलाप, जल छिड़काव मशीन की व्यवस्था

शामिल हैं। उन शहरों के लिए जहां आबादी 5 लाख से कम है, 10 लाख रू. प्रति शहर और 5 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों के लिए 20 लाख रू. प्रति शहर के वित्त पोषण की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा पराली जलाने से रोकने के लिए केंद्रीय निधियों से 1151.80 करोड़ रुपए (वर्ष 2018-19 में 591.65 करोड़ रुपए और 2019-20 में 560.15 करोड़ रुपए) के कुल व्यय से वर्ष 2018-19 से 2019-20 तक की अवधि में 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 'फसल अवशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण के संवर्धन' संबंधी एक नई केंद्रीय क्षेत्र की स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

(घ) 'फसल अपशिष्ट के स्वस्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण के संवर्धन' की स्कीम के शुरू होने के कारण पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं की कुल संख्या में वर्ष 2016 में 292285 से वर्ष 2019 में 61332 तक कमी हुई है।

(ड.) भारतीय उष्णकटिबंधी मौसम-विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम), पुणे, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सर्दियों के महीनों में उत्तरी राज्यों में पराली जलाने में स्थानीय योगदान के परिणामस्वरूप और दिल्ली तथा एनसीआर में मौसम विज्ञान संबंधी स्थितियों से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। आईआईटीएम द्वारा तैयार की गई वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली (एसएएफएआर)- पूर्वानुमान मॉडेल द्वारा $PM_{2.5}$ स्तरों में पराली जलाने से वृद्धि होने की सूचना मिली है। सफर मॉडेल के अनुसार दिल्ली में $PM_{2.5}$ स्तर में पराली जलाने का अनुमानित प्रभाव 2% (07 नवम्बर, 2019) से 46% (31 अक्तूबर, 2019) के बीच है।

****